

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-437) अलेसे-1/ 84-89

दिनांक:- 08/05/25

आदेश

निदेशालय के आदेश संख्या 167/2024-25 दिनांक 15.01.2025 द्वारा श्री मुरारी लाल मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। का स्थानान्तरण कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, करौली से उप वन संरक्षक एवं उपक्षेत्रीय निदेशक-।।, रणथम्भौर बाघ परियोजना, करौली में किया गया था, जिसके अनुसरण में श्री मुरारी लाल मीना ने उप वन संरक्षक एवं उपक्षेत्रीय निदेशक-।।, रणथम्भौर बाघ परियोजना, करौली में दिनांक 20.01.2025 को मध्यान पश्चात् कार्यग्रहण कर लिया गया। किंतु श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, स.ले.अ.-। द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 647/2025 दायर की गयी है जिस पर मानीनय अधिकरण ने श्री शर्मा को पूर्व पदस्थापन कार्यालय में यथावत रखने के आदेश पारित किये जाने के कारण कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उपक्षेत्रीय निदेशक-।।, रणथम्भौर बाघ परियोजना, करौली में स्वीकृत एक सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। के पद के विरुद्ध दो सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। पदस्थापित हो जाने से श्री मुरारी लाल मीना का माह फरवरी, 2025 के वेतन का भुगतान नहीं हुआ।

अतः श्री मुरारी लाल मीना सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम का माह फरवरी, 2025 से अग्रिम आदेशों तक का वेतन भुगतान कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, करौली में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। के रिक्त पद से आहरित करने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-437) अलेसे-1/ 84-89

दिनांक:- 08/05/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला परिवहन अधिकारी, करौली।
2. उप वन संरक्षक एवं उपक्षेत्रीय निदेशक-।।, रणथम्भौर बाघ परियोजना, करौली।
3. उपविधि परामर्शी (विधि)
4. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्री मुरारी लाल मीना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय उप वन संरक्षक एवं उपक्षेत्रीय निदेशक-।।, रणथम्भौर बाघ परियोजना, करौली।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।

(क.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-।)